

राजस्थान विधान सभा

नवम् सत्र

कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 10 अक्टूबर, 2012

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) विशेषाधिकारी, विधान सभा गत सत्रों में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे जिन पर राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है ।

(ख) अध्यादेश

(I)- श्री शांती कुमार धारीवाल, विधि मंत्री, राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्या-04) सदन की मेज पर रखेंगे ।

(II)- डॉ. दयाराम परमार, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री, निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्या-02);
- 2- कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्या-03);
- 3- मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्या-05);
- 4- बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्या-06);
- 5- शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्या-07);
- 6- डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्या-08);
- 7- राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्या-09);
- 8- सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्या-10); एवं
- 9- हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्या-11).

जारी..2..

2. विधायी कार्य

पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

(1) राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012

- (I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
- राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्या-36)
- "राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-4) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

(2) मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर विधेयक, 2012

- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
- मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्या-29)
- "राजस्थान राज्य में अलवर में मत्स्य विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिये और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-5) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

(3) हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012

- हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-30)
- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
"राजस्थान राज्य में जयपुर में हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिये और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत
- (III) हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-11) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

(4) बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर विधेयक, 2012

- बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-31)
- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
"राजस्थान राज्य में भरतपुर में बृज विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिये और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत
- (III) बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-6) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

(5) डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012

- डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्या-32)
- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
"राजस्थान राज्य में जयपुर में डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिये और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-8) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

(6) शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर विधेयक, 2012

- शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्या-33)
- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
"राजस्थान राज्य में सीकर में शेखावाटी विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिये और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-7) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

(7) सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2012

- सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-34)
- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
"राजस्थान राज्य में जोधपुर में सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिये और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-10) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

(8) राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2012

- राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-35)
- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
"राजस्थान राज्य में उदयपुर में राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिये और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-9) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

(9) महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2012

- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्या-37)
"महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 2003 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-2) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

(10) कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012

- (I) डॉ. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्या-38)
"कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 को संशोधित करने के लिये विधेयक।"
- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।
- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-3) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

3. शोकाभिव्यक्ति

निम्नांकित के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी :-

1. पंडित नवल किशोर शर्मा - पूर्व राज्यपाल, गुजरात, पूर्व सांसद, लोकसभा एवं सदस्य, ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा।
2. श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी - पूर्व राज्यपाल, उत्तरप्रदेश एवं ओड़ीशा।
3. श्री केदारनाथ साहनी - पूर्व राज्यपाल, गोवा एवं सिक्किम।
4. श्री विलासराव देशमुख - पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र।
5. श्री भंवर सिंह डांगावास - पूर्व सांसद, लोकसभा तथा सदस्य, दसवीं एवं बारहवीं राजस्थान विधान सभा।
6. श्री मोहनलाल बारूपाल - सदस्य, आठवीं, नवीं, दसवीं एवं ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा।
7. श्री यशवन्त सिंह 'रामू' - सदस्य, ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा।
8. श्री मान्धाता सिंह - सदस्य, नवीं राजस्थान विधान सभा।
9. श्री विष्णु प्रकाश बजारी - सदस्य, सातवीं राजस्थान विधान सभा।
10. श्री इन्द्र सिंह शेखावत - सदस्य, छठी राजस्थान विधान सभा।
11. आन्ध्रप्रदेश रेल हादसे के मृतक

विधान सभा भवन,

जयपुर

दिनांक 09 अक्टूबर, 2012

प्रकाश चन्द्र पिछोलिया

विशेषाधिकारी

नोट- प्रश्नकाल एवं शून्यकाल नहीं होगा।